

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

वजाराम बनाम रणछोडराम वगैरे
राजस्व प्रार्थना संख्या 112/2021
दिनांक 29.8.2022

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या - 1 व 2 के वकील उपस्थित । प्रार्थीगण वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का पैतृक व संयुक्त मूल खेत खसरा संख्या न 309, 311, 313, 315 कुल रकबा 17-06 बीघा व खसरा नम्बर 312 रकबा 17'06 बीघा व खसरा संख्या 314 रकबा 14-06 बीघा, सरहद मौजा पारलू (वर्तमान बोंको की ढाणी) में बट्टे डाले गये जिसमें प्रार्थी वजाराम पुत्र दुर्गाराम का खेत खसरा नम्बर 963/315 रकबा 0-15 बीघा, खसरा संख्या 970/314 रकबा 1 बीघा भूमि है तथा प्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 के खेत खसरा नम्बर 309 रकबा 0-1 बीघा खसरा संख्या 960/311 रकबा 0-02 बीघा, खसरा संख्या 967/312 रकबा 07 बीघा व प्रार्थीगण संख्या 11 ता 15 खसरा संख्या 959/311 रकबा 1-08 बीघा, खसरा संख्या 962/315 रकबा 0-1 बीघा, खसरा संख्या 966/312 रकबा 6-11 बीघा, खसरा संख्या 969/314 रकबा 2 बीघा व समस्त प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 313 क्षेत्रफल 0-09 बीघा, खसरा संख्या 964/315 रकबा 02 बीघा खसरा संख्या 972/314 रकबा 0-08 बीघा व विप्रार्थी घेवरराम पुत्र गलाराम के खसरा संख्या 1079/314 रकबा 1 बीघा व प्रार्थी गोबरराम वल्द मागाराम के खेत खसरा संख्या 958/311 रकबा 4-18 बीघा, खसरा संख्या 961/315 रकबा 6-05 बीघा, खसरा संख्या 965/312 रकबा 3-15 बीघा, खसरा संख्या 968/314 रकबा 7-18 बीघा व विप्रार्थी रणछोडराम वल्द बुदरराम खेत खसरा संख्या 971/314 क्षेत्रफल 2 बीघा के राजस्व रेकॉर्ड में लाल स्याही से की गई तरमीम का निरस्त कर पुनः मूल खसरे का कायम कर नये सिरे से व परिशिष्ट 'अ' या मौके पर काबिज कब्जा कास्त अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम करवाने का निवेदन किया गया ।

वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वकील प्रार्थी की बहस का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि आवेदन पत्र क संलग्न परिशिष्ट 'अ' व मौका कब्जा कास्त अनुसार तरमीम दुरुस्त की जाती है तो आपति नहीं विप्रार्थी सहमत है। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया विवादित भूमि की मौका कब्जा कास्त के विपरीत तरमीम नक्शे में हो रखी है और दोनों पक्षकार भी परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने के लिए सहमत है । ऐसी सरूत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


अधिवक्ता
(S.D.C.) बालोतरा

हुकूम या कार्यवाही भय इतिशियलय जज

पञ्जाब व लार्ड
अहकाम जो हुकूम
की लार्ड वी जारी हुए

लिहाजा प्राथीगण का प्राथना पत्र पहाकारान की सहमती के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पत्रपदरा को आदेशित किया जाता है की खसरा संख्या न 309 311, 313, 315 कुल रकबा 17 06 बीघा व खसरा नम्बर 312 रकबा 17 06 बीघा व खसरा संख्या 314 रकबा 14 06 बीघा सरहद भोजा पारलू (वर्तमान बोको की डाणी) में परिशिष्ट 'अ' व मीके पर कब्जा कारत अनुसार मूल नक्शे में तरमीम दुरुस्ती किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है । परिशिष्ट 'अ' आदेश का अधिष्ण अग रहेगा ।

पञ्जावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।


उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा,